

NANHI PARI SEEMANT ENGINEERING INSTITUTE

(Formerly Seemant Institute of Technology)
Estd. by Govt. of Uttarakhand in 2011

Approved by AICTE New Delhi

Constitute Institute of Uttarakhand
Technical University, Dehradun



नन्ही परी सीमान्त अभियान्त्रिकी संस्थान

(पूर्व सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2011 में स्थापित

अ.भा.त.सं.श.०५० नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित

संचटक संस्थान

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

दिनांक/ Date 31/10/2022

पत्रांक सं/Ref. No. : NPSEI/ESTI/01/10/084/20 22

सूचना

राजभवन राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून के विज्ञप्ति संख्या 2769/जी0एस0 (अधि0/बी-179 (ट0सी0)/2021 दिनांक 20/10/2022 के अनुपालन में संस्थान के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो छात्र/छात्राएँ बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हों तथा जिनके माता/पिता जीवित न हो अथवा अनाथ हों तथा शुल्क वहन करने में असमर्थ हों, ऐसे छात्र/छात्राएँ आर्थिक सहायता हेतु अपना आवेदन-पत्र स्व-प्रमाणित अभिलेखों सहित दिनांक 30/11/2022 तक राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून में जमा कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- आवेदन पत्र का प्रारूप।

31/10/2022
अधिष्ठाता शैक्षणिक

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासक/जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी वेबसाईट को संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संस्थान के समस्त नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

31/10/2022
अधिष्ठाता शैक्षणिक

आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम:
2. पिता/माता/पति/अभिभावक का नाम:.....
3. उत्तराखण्ड के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र संख्या:..... दिनांक:.....
(प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर) (एकल माता/पिता/अनाथ छात्र/छात्रा की स्थिति में
अभिभावकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
4. पत्राचार का पता:.....
.....
.....
5. मोबाईल नम्बर:.....
6. संस्थान का नाम व पता जिसमें चयन हुआ है:.....
.....
7. पाठ्यक्रम का नाम जिसमें चयन हुआ है:.....
.....(अंक पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक करें)
8. पिता/माता/अभिभावक की कुल मासिक आय.....
(आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो तथा आवेदक छात्र/छात्रा बी०पी०एल
श्रेणी में आता हो प्रति संलग्न करें)
9. आधार कार्ड संख्या:.....(प्रति संलग्नक करें)
10. बैंक खाते का विवरण:
 - बैंक का नाम:.....
 - खाता संख्या:.....
 - आईएफएससी कोड:.....
(बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ अथवा कौंसिल बैंक की प्रति संलग्न करें)

दिनांक

आवेदक को हस्ताक्षर



राजगवन

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड

संख्या 2769 / जी०एस० (अधि०/वी-170 (ट०शी०)/2021

देहरादून दिनांक अवदूबर, 2022

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के मेधावी/प्रतिभाशाली छात्र/छात्रायें जो बी०पी०एल० श्रेणी में आते हैं तथा जिनके माता/पिता जीवित न हो अथवा अनाथ हों तथा जो राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों एवं केन्द्र सरकार के राजकीय संस्थानों अथवा समकक्ष राजकीय अखिल भारतीय संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम यथा- मेडिकल/इंजीनियरिंग/भारतीय प्रवन्धन संस्थान आदि में प्रवेश हेतु चयन हुआ हों, परन्तु शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं, ऐसे छात्र/छात्रायें आर्थिक सहायता हेतु अपना आवेदन-पत्र स्व-प्रमाणित अगिलेखों सहित दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड, न्यू कैंन्ट रोड, देहरादून में जमा कर सकते हैं। अपूर्ण/अपठनीय व निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6
20/10/2022

(जी०डी० नौटियाल)
अनुसचिव श्री राज्यपाल

आवेदन-पत्र का प्रारूप

- 1- आवेदक का नाम-
- 2-पिता/माता/पति/अभिभावक का नाम-
- 4-उत्तराखण्ड के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक-
(प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर)
(एकल माता/पिता/अनाथ छात्र/छात्रा की स्थिति में अभिभावकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
- 5-पत्राचार का पता-
- 6-मोबाईल नम्बर-
- 7-संस्थान का नाम व पता जिसमें चयन हुआ है-
- 8-पाठ्यक्रम का नाम जिसमें चयन हुआ है-
(अंक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करे)
- 9-पिता/माता/अभिभावक की कुल मासिक आय-
(आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो तथा आवेदक छात्र/छात्रा बी०पी०एल० श्रेणी में आता हो)
- 10-आधार कार्ड संख्या- (प्रति संलग्न करे)
- 11-बैंक खाते का विवरण- बैंक का नाम- खाता संख्या-
(बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ अथवा कैंसिल बैंक की प्रति संलग्न करे) आईएफएससी कोड-

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर